न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 44/2023

जी.सी.एम.एस. : 2023/281

अपीलान्ट

1. जसाराम पुत्र वागाराम
2. देवाराम पुत्र जसाराम
3. राजाराम पुत्र जसाराम

जातिगण घांची, निवासीगण बारलाबास, घेनड़ी, तहसील रानी, जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. केसी पुत्री घीसाराम पत्नी प्रवीण कुमार भाटी
2. लक्ष्मी पत्नी घीसाराम

जातिगण घांची, निवासीगण बारला बास, घेनड़ी, तहसील रानी, जिला पाली

3. तेजाराम पुत्र पुनाराम
4. पेपीबाई पत्नी पुनाराम
5. पेमाराम पुत्र पुनाराम
6. बस्तीमल पुत्र पुनाराम

जातिगण घांची, निवासीगण बारला बास, घेनड़ी, तहसील रानी, जिला पाली

7. लीला पुत्री पुनाराम पत्नी भंवरलाल परिहार, जाति घांची, निवासी नाड़ोल, तहसील देसूरी, जिला पाली
8. सायरी पुत्री पुनाराम पत्नी पुनमचन्द सोंलकी, जाति घांची, निवासी डायलाना, तहसील देसूरी
9. हंजा पुत्री पुनाराम पत्नी कैलाश, जाति घांची निवासी बूसी, तहसील रानी
10. नारायणलाल पुत्र सुजाराम
11. मांगीलाल पुत्र सुजाराम
12. रम्भा पत्नी सुजाराम

जातिगण घांची, निवासी बारला बास, घेनड़ी, तहसील रानी

13. कमलाबाई पुत्री सुजाराम पत्नी भुराराम परिहार, जाति घांची, निवासी खैरवा, तहसील व जिला पाली
14. पुष्पादेवी पुत्री सुजाराम पत्नी पेमाराम, जाति घांची, निवासी बाली, तहसील बाली, जिला पाली

अति. जिला कलेक्टर पाली

15. भंवरीदेवी पुत्री सुजाराम पत्नी सुजाराम सोंलकी जाति घांची, निवासी डायलाना, तहसील देसूरी
16. मंजू घांची पुत्री सुजाराम पत्नी नत्थाराम जाति घांची निवासी सिवास, तहसील रानी, जिला पाली
17. हरिराम पुत्र नेनाराम, जाति घांची, निवासी बारला बास, घेनड़ी, तहसील रानी, जिला पाली
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानी,
19. उप तहसीलदार, खिंवाड़ा

"अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से लगायत 17 की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह राजपुरोहित।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 18 व 19 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 15/10/2024

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उप तहसीलदार खिंवाड़ा द्वारा ग्राम घेनड़ी के आपसी सहमति बंटवाड़ा आदेश क्रमांक/राजस्व/2020–21/51 दिनांक 07.12.2021 के विरूद्ध पेश की है। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड़ तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि उप तहसीलदार खिवाड़ा ने प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प पिलोवनी में आदेश दिनांक 07.12.2021 के द्वारा उभयपक्ष के मध्य हुये आपसी सहमति से बंटवाड़ा में अपीलार्थी के हिस्से में माफिक बंटवाड़ा भूमि न देकर, अपीलार्थी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारी हिस्से से भूमि कम कर बंटवाड़ा में दे दी गयी। साथ ही अपीलार्थी के बंट में रखी गयी भूमि खसरा संख्या 986/176 में आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिया गया। रेस्पोडेण्ट ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर गलत तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित करवा दिया, जो विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त फरमाते हुये जैर आराजी का राजस्व रेकर्ड़ में दर्ज हिस्साकस्सी अनुसार एवं प्रत्येक की आराजी में जाने हेतु रास्ते को छोड़ते हुये मौके पर उभयपक्ष की उपस्थिति में आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाये जाने के आदेश देते हुये अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

वकील रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से लगायत 17 ने वक्त बहस वकील अपीलाण्ट के कथनों का समर्थन करते हुये कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलार्थी के बंट में रखी गयी भूमि खसरा संख्या 986/176 में आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिया गया, जो कि विधिविरूद्ध है। वर्तमान में मौके पर फसल खड़ी होने से 15 अप्रेल से 30 जून के मध्य मौके पर उभयपक्ष की उपस्थिति में राजस्व रेकर्ड़ में दर्ज हिस्सेनुसार जैर आराजी पर आने जाने हेतु रास्ते की भूमि का ध्यान में रखकर आपसी सहमति से बटंवाड़ा किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प पिलोवनी में सभी पक्षकारों की उपस्थिति में आपसी सहमति से बंटवाड़ा आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। इसलिये अपीलाधीन आदेश को यथावत रखते हुये जैर अपील को खारिज फरमावे।

उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाण्ट ने यह अपील उप तहसीलदार खिंवाड़ा द्वारा ग्राम घेनड़ी के आपसी सहमति बंटवाड़ा आदेश क्रमांक/राजस्व/2020–21/51 दिनांक 07.12.2021 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट को जानकारी अन्दर म्याद शुमार की जाती है। दौराने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की यह स्वीकारोक्ति है कि अपीलाधीन आदेश में पक्षकारान के मध्य हुये आपसी बंटवाड़ा अनुसार हक हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया है और न ही जैर आराजी पर आने–जाने हेतु रास्ते की भूमि का ध्यान रखा गया है। जिसके सम्बन्ध में उप तहसीलदार खिंवाड़ा से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प पिलोवनी में उभयपक्ष की उपस्थिति में खसरा संख्या 172, 173, 174, 175, 176 व 180 का आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया तथा पक्षकारान ने उक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौके पर काबिज होना तथा इस भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद नहीं होना जाहिर करते हुए विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ निशान किये परन्तु पत्रावली के संलग्न आपसी सहमति बंटवाड़ा नक्शे के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने के दौरान राजस्व अधिकारियों द्वारा अपीलाण्ट के हिस्से में आने वाली आराजी पर आने–जाने हेतु रास्ते की उपलब्धता का ध्यान नहीं रखा गया। हस्तगत प्रकरण में ऐसा महसूस होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने के दौरान राजस्व अधिकारियों द्वारा सहवन से विधिक तथ्यों की भूल हुई है ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश में विधिनुसार संशोधन किया जाना न्यायासंगत है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की सहमति के आधार पर जैर अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर उप तहसीलदार खिंवाड़ा द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2020–21/51 दिनांक 07.12.2021 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण उप तहसीलदार खिंवाड़ा को इन

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे 15 अप्रेल से 30 जून के मध्य पक्षकारान की उपस्थिति में जैर आराजी पर आने–जाने हेतु रास्ते की उपलब्धता को ध्यान में रखकर दर्ज हिस्सा अनुसार आपसी सहमति से पुनः बंटवाड़ा करे। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15\10\2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली